

MUNICIPAL CORPORATION OF BHILAI

NIT

Name of work: - Repairing of Hand Pump with Material at Zone 03

(As Per NON SOR ITEM)

S.NO	PARTICULAR	QTY	UNIT	RATE	AMOUNT
A	As Per NON SOR ITEM				
1	Replacement of old Handpump and Providing and placing in position India Mark II hand pump with 32 mm diameter riser pipe assembly complete with all accessories (riser pipe and plunger rod to be paid	13	Each		
2	Construction of PCC platform as per describe drawing & design with all required materials pertaining to it.	13	Each		
3	GI Pipe 32mm	2000	Mtr.		
a	Connecting Rod 10 Ft	800	Nos.		
b	Cylinder Set	200	Nos.		
c	Upper Valve Assembly	180	Nos.		
d	Lower Valve Assembly	250	Nos.		
e	Bearing (6204)	150	Nos.		
f	Chain (I M II)	150	Nos.		
g	Hand Pump Stand	30	Nos.		
h	Mounth (I M II)	50	Nos.		
i	Conversion Set	40	Nos.		
j	Handel Set	40	Nos.		
k	Excel	150	Nos.		
l	Leather Bucket	200	Nos.		
m	Rod Socket	210	Nos.		
n	Nut Bolt (In KG) (10x50, 12x50)	100	Kg		
4	Repairing of Hand Pump Above Ground Level	320	Nos.		
5	Repairing of Hand Pump Below Ground Level	500	Nos.		

कार्यपालन अभियन्ता
नगर पालिक निगम भिलाई

सहायक अभियन्ता
नगर पालिक निगम, भिलाई

उप अभियन्ता
नगर पालिक निगम, भिलाई

कार्यालय नगर पालिक निगम, भिलाई

// नियम शर्तें //

“ जोन-03 क्षेत्रांतर्गत स्थापित हस्त पंपों का सामग्री सहित संधारण कार्य ।”

—00—

निविदा में भाग लेने हेतु एजेंसी को निम्नलिखित अभिलेख संलग्न करना एवं निम्नलिखित आवश्यक नियम शर्तों का पालन किया जाना अनिवार्य होगा -

1. उक्त कार्य में भाग लेने वाले निविदाकार/एजेंसी को निविदा लागत राशि का 75 प्रतिशत राशि का कार्य सफलतापूर्वक पूर्ण किये जाने का सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र संलग्न किया जाना अनिवार्य होगा।
2. हैण्ड पंपों के संधारण कार्य हेतु समस्त सामग्री एजेंसी के द्वारा स्वयं के व्यय से लगाई जावेगी। सामग्री का पृथक से कोई भुगतान निगम द्वारा देय नहीं होगा।
3. निगम के अधिकारियों/संबंधित कर्मचारियों द्वारा हैण्ड पंप संधारण के संबंध में समय-समय पर दिये गए निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा।
4. सभी हैण्ड पंपों के संधारण कार्य का लॉकबुक संधारित करना होगा।
5. कार्य की अवधि 1 वर्ष की होगी, आवश्यकतानुसार कार्य की अवधि में वृद्धि की जा सकेगी, उक्त अवधि में अनुबंधित दरों की शर्तों पर कार्य करने हेतु अनुबंधित एजेंसी बाध्य रहेगी।
6. हैण्ड पंप खराब होने की शिकायत पर संधारण 24 घंटे के अंदर करना आवश्यक होगा। निदान 1100 में प्राप्त शिकायतों को प्राथमिकता से संधारण कर कार्यालय को सूचित करना होगा। अन्यथा प्रतिदिन की राशि रु. 1000.00 पेनाल्टी देयक से कटौती की जावेगी।
7. दर समस्त कर सहित देना होगा, पृथक से कर/शुल्क देय नहीं होगा।
8. अनुबंधित एजेंसी को प्रतिमाह मासिक देयक कार्यपालन अभियंता नगर पालिक निगम, भिलाई को प्रस्तुत करना होगा, प्रस्तुत देयक से करों की कटौती कर देयक का भुगतान किया जावेगा।
9. आवश्यकतानुसार पावर पंपों की मात्रा 10 प्रतिशत घटाई अथवा बढ़ाई जा सकती है, जिसके लिए पृथक से कोई भुगतान देय नहीं होगा।
10. कार्य के दौरान किसी प्रकार की दुर्घटना होने पर उसकी समस्त जिम्मेदारी अनुबंधित एजेंसी की होगी।
11. अनुबंधित एजेंसी को श्रम कानून का पालन करना अनिवार्य होगा।
12. किसी भी विवाद की स्थिति में आयुक्त नगर पालिक निगम, भिलाई का निर्णय अंतिम एवं अनुबंधित एजेंसी हेतु बंधनकारी रहेगा।

नगर पालिक निगम एवं अनुबंधकर्ता के बीच किसी भी प्रकार की विवाद की स्थिति में निगम आयुक्त/महापौर परिषद का निर्णय अन्तिम माना जावेगा।

कार्यपालन अभियंता

मदरटेरेसा नगर जोन-03
नगर पालिक निगम भिलाई

सहायक अभियंता
मदरटेरेसा नगर जोन-03
नगर पालिक निगम भिलाई

उप-अभियंता
मदरटेरेसा नगर जोन-03
नगर पालिक निगम भिलाई